बिहार विधान सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में वृहस्पतिवार, तिथि १३ अक्तूबर १९५५को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

NOTICES ON THE KHUTKATIDARS.

429. Shri S. K. BAGE: Will the Revenue Minister be pleased to state—

(1) whether it is a fact that Government have served notices on the *Khutkatidars* of Chotanagpur intimating them of Government decision to take over their *Khutkati* rights;

(2) if the answer to the above clause be in the affirmative, what are the reasons thereof?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (1) and (2) It has come to Government's notice that owing to inadvertence in preparation of draft notifications, under sub-section (1) of section 3 of the Bihar Land Reforms Act, 1950, by some districts, the interests of some *Khutkatidars* were notified under that provision.

2. *A Khutkatidar* does not come within the purview of an "intermediary" as defined in the Bihar Land Reforms Act, 1950. The interests of a *Khutkatidar* cannot thus be acquired under the Act.

3. The interests of a *Khutkatidar* have not, however, been taken possession of in any case and steps are being taken to cancel the notifications issued by inadvertence.

श्री जुनुस सुरीन—सरकार की ओर से जो नोटिस जारी हुई है वह कबतक के लिये है यानी कितने दिनों में उस नोटिस को रद्द करने के लिये दूसरी नोटिस जारी होगी?

श्री कृष्ण वल्लभ सहाय—मेरा खयाल है कि एक हफ्ता या १० दिन में गजट में नोटिस निकल जायगी। खूटकट्टीदारों के इन्टरेस्ट को अभी लिया नहीं गया है और न सरकार के कब्जे में ही वह आया है, इसलिए अभी तक किसी को इससे कोई नुकसान नहीं है।

थे कि आज शाम को जो लेजिस्लेचर क्लब में इस चीज पर विचार होने वाला है उसके ऊपर विचार करने का समय मिले लेकिन यह जब अपने नेता की बात नहीं मानते हैं तो हमको क्या पड़ी है? हम भी अपने प्रस्ताव को वापस ले लेना चाहते हैं।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री को अब जवाब देना है।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—हमको कुछ नहीं कहना है अब। जो कुछ कहना था हमने कह दिया है।

अध्यक्ष—मूल प्रश्न यह था कि प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित बिहार टेनेन्सी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार हो उसके बाद यह संशोधन पेश हुआ कि उक्त विधेयक को ३१ मार्च १९५६ तक जनमत जानने के लिये परिचारित किया जाय। अब प्रश्न यह है कि:

प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित बिहार टेनेंसी अमेंडमेंट बिल, १९५४, तिथि ३१ मार्च १९५६ तक जनमत जानने के लिए परिचारित हो।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

श्री शिवव्रत नारायण सिंह—मैंने कहा था कि पक्ष में बहुमत है।

अध्यक्ष—शांति, शांति। अपने फैसले के बाद इस तरह की आपत्ति में मंजूर करने के लिए तैयार नहीं हूं।

अध्यक्ष—अभी प्रश्न यह है कि:

प्रवर समिति द्वारा यथा-प्रतिवेदित बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ पर विचार हो।

सदस्यगण खड़े होकर मतदान दें।

मतदान का फल इस प्रकार है:—

विपक्ष में—२ (श्री शिवव्रत नारायण सिंह और श्री जिआउर रहमान)।

पक्ष में—बकिये सभी सदस्यगण।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

कार्यक्रम की घोषणा।

STATEMENT OF BUSINESS.

अध्यक्ष—मैं कल की बैठक के लिए यह घोषणा करता हूं कि कल सभा की बैठक सुबह नौ बजे से होगी। ९ बजे से ११ बजे तक बिहार टेनेंसी बिल चलेगा, ११ बजे से १२ बजे तक प्रश्नोत्तर और फिर १२ बजे से साढ़े बारह बजे तक बिल उसके बाद २ बजे से लेकर ५ बजे तक फिर सरकारी कार्य होगा।

विधान कार्य: सरकारी बिल

LEGISLATIVE BUSINESS: OFFICIAL BILL:

बिहार टेनेंसी (अमेंडमेंट) बिल, १९५४ (१९५४ की वि० सं० ४१)

THE BIHAR TENANCY (AMENDMENT) BILL, 1954 (BILL NO. 41 OF 1954.)

अध्यक्ष—खंड २। इसमें श्री बोकाय मंडल का संशोधन है।

श्री बुद्धिनाथ झा कैरव—मेरी एक प्रार्थना है कि जितने संशोधनस हैं सब एक जगह रख दिए जायं और आगा-पीछा न रहे जिसकी वजह से दिक्कत होती है।

अध्यक्ष—आपका संशोधन अपने स्थान पर ही रहेगा और जब समय आयेगा तो आप पेश करेंगे।

(श्री बोकाय मंडल अपने संशोधन को पेश करने के लिए खड़े हुए)

अध्यक्ष—मैं आपके संशोधन को मूव नहीं करने दूंगा, क्योंकि यह इस बिल के क्षेत्र से बाहर है। आप चाहते हैं कि अन्डर-रैयत के बदले टिनेंट रख दिया जाय। तो यह इस बिल के क्षेत्र से बाहर है और इसलिए मैं इसे आउट ऑफ आर्डर डिक्लेयर करता हूं।

***Shri RAMNARAYAN MANDAL :** Sir, I beg to move :

That in the proposed section 48A of the Act for the words "seven-twentieths" the word "half" be substituted.

माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार टिनैन्सी ऐक्ट में जहां तक रैयत और बटाईदार के बीच अन्न के बंटवारे का सवाल है उसके अनुसार १८ सेर और २२ सेर का प्रोविजन था। लेकिन इस क्लाज के मुताबिक १४ सेर रैयत और २६ सेर अंडर रैयत को देने का प्रोविजन रखा गया है।

इस क्लौज के मुताबिक जो बंटवारा होगा उसमें १४ सेर रैयत पायेंगे और २६ सेर अंडर रैयत पायंगे। हमारे राजस्व मंत्री ने कहा है कि हम उनकी भी रक्षा करना चाहते हैं जो जमीन अपने से नहीं जोत सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हमारे कांस्टेबुल हैं, छोटे-छोटे ओहदे में हैं, नौकरी पेशे में हैं और थोड़ी सी जमीन है और वे बटाईदारों के जिम्मे लगा दिए हैं। जो नौकरी में कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी हालत क्या है, हरेक आदमी जानता है। इस सदन में कहा गया है कि जो लोग कम तनख्वाह पाने वाले हैं उनकी माली हालत अच्छी की जाय, उनकी तनख्वाह बढ़ायी जाय लेकिन वह बात नहीं हुई। जो कर्मचारी कम तनख्वाह पाते हैं और किसी प्रकार उनका और उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। उनके पास जो कुछ थोड़ी जमीन है, उनके घर में जो लोग हैं, या पड़ोस में जो लोग हैं उनको आबाद करने के लिए दे देते हैं और जितने लोग उनके अधीन हैं उनका भरण-पोषण करते हैं। किसी दो बीघा जमीन है, किसी को एक बीघा जमीन है और किसी को दस बीघा भी जमीन है। जब आप कहते हैं कि हमको उनको भी जीवित रखना है और उनके परिवार का भरण-पोषण करना है तो आपका जो यह बंटवारा का परपोरशन है १४ और २६ का उससे उनका और उनके परिवार का भरण-पोषण नहीं हो सकता है। आप चाहते हैं कि आपका खजाना रैयतों से हर साल वसूल हो और वैज्ञानिक ढंग से हो। आप चाहते हैं कि आपको फेयर रेंट मिले, अभी जो खजाना रैयतों से वसूल करते हैं वह फेयर रेंट नहीं है। जहां पर खजाना बढ़ाने की बात कर रहे हैं और वह हैसियत के मुताबिक खजाना नहीं देना है। अभी जो हम खजाना दे रहे हैं वह इतना ज्यादा है कि अदा नहीं कर सकते हैं और आप सार्टिफिकेट जारी करते हैं। जो आउट गोइंग लैंड लौर्ड हैं वे भी रेंट के लिए नालिश किए हुए हैं और रैयतों पर उनकी डिग्री मौजूद है। जिनको थोड़ी-सी जमीन है और बटाईदार के जरिए आबाद कराता है तो १४ सेर और २६ सेर का रेशिओ रहने से वे अपनी मालगुजारी नहीं अदा कर सकते हैं और ऐसे लोग जो नौकरी में हैं उनकी जमीन नहीं बच सकती है। वे खजाना नहीं अदा कर सकते हैं।

खजाना कहीं तीन रुपये बीघा है और कहीं चार रुपये बीघा है और उसके साथ-साथ सिंचाई टैक्स भी देना पड़ता है तो सब मिला कर १० रुपये ११ रुपये फी बीघा पड़ जाता है। इसके अलावा रुपया में दो आना सेस भी देना पड़ता है। और भैल्युयेसन सेस भी देना पड़ता है।

अध्यक्ष—आपका अमेंडमेंट है कि हाफ ऐंड हाफ होना चाहिए। आप तो प्रिंसिपुल पर बहस कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हाफ होना चाहिए। क्यों ऐसा हो यही आपको साबित करना है।

श्री राम नारायण मंडल—जमीन का खजाना भैलुएशन से हमें देना है। नहर रेट भी हमें देना है।

अध्यक्ष—दूसरा अमेंडमेंट है ८-१२, तीसरा अमेंडमेंट है २-५। इस तरह से जो अमेंडमेंट है उस पर किस तरह से बहस किया जाय। आप हाफ ऐंड हाफ का आर्गुमेंट दीजिए।

श्री राम नारायण मंडल—१४ सेर और २६ सेर का जो प्रोपोरशन रखा गया है उस रेशिओ से रैयत खजाना अदा नहीं कर सकते हैं। सरकार अगर यह कहे कि जमीन अंडर रैयतों के कब्जे में रहेगी, रैयत नहीं रहेगा, एक टीलर आफ दी स्वायल रहेगा और गवर्नमेंट रहेगी तब इसको मानने को हम तैयार हैं लेकिन जब तक आप रैयत और अंडर-रैयत दोनों रखते हैं तो ऐसा प्रोपोरशन रखना जिससे खजाना न अदा हो सके उसमें रैयत भी पैमाल होंगे और अंडर-रैयत भी पैमाल होंगे। रेशिओं ठीक रहना चाहिए। अंडर रैयत को रेंट नहीं देना पड़ता है, रैयत को रेंट देना पड़ता है यह देखने से मालूम होगा कि अगर यह रेशिओ रखा जायगा तो रैयत जमीन नहीं रख सकते हैं इसलिए हमारा संशोधन है कि हाफ बटाईदार ले और हाफ मालिक लें।

दूसरा जो क्लौज है जहां मनि-हुन्डा का जिक्र है उसको भी खत्म कर सकते हैं।

अध्यक्ष—मनि हुन्डा का अभी प्रश्न नहीं है। अंडर-रैयत को क्या प्रोपोरशन देना चाहिए?

श्री राम नारायण मंडल—जहां यह रेशिओ १४ सेर और २६ सेर का है वहां अंडर-रैयत को जहां मनि-हुन्डा है ज्यादा लग सकता है।

*Shri **BOKAI MANDAL** : Sir, I beg to move :

That in the proposed section 48A of the Act for the words "seven-twentieths" the word "half" be substituted and after the words "produce of such land" the words "and the landlord shall have to provide seeds to his tenant" be added.

सभा शुक्रवार, तिथि १४ अक्तूबर १९५५ को ९ बजे दिन तक स्थगित की गयी।

पटना,
तिथि १३ अक्तूबर, १९५५।

रघुनाथ प्रसाद,
'सचिव', बिहार विधान-सभा।

वि०स०मु० (ए० एल० ए०) ३१३—८७१+२५—मोनो—२७-४-१९५६ ध०नाथ तथा अन्य